

(183)

संख्या-625/2015/1431/69-1-2015-88(बजट)/2013

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

Budget-37

II-1881

MF 19

लखनऊ : दिनांक : ०८^व जून २०१५, २०१५

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-197/76/एक/एवीएमबीबीवाई/2013-14, दिनांक 23 अ०८, 2015 एवं संख्या-466/76/एक/एवीएमबीबीवाई/2013-14, दिनांक 12 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-युलन्दशहर की न००३०००, खुँझा न००५०, बुगरासी, पहासू, छातारी एवं कालोड की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग सङ्क व नाली निर्माण कार्य हेतु कुल १२ परियोजनाओं के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि से शासनादेश संख्या-2138/69-1-2013-88(बजट)/2013, दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारा रु० 267.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात रु० 133.915 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की जायी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त परियोजनाओं में से ०४ परियोजनाओं के कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के रक्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु० 44.755 लाख (रुपये चौंकालिस लाख पचाहतत्र हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश, व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्द वित्तीय हस्तानुस्तिका राइड-८ के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम मत्र से उक्तीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत विर्भारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार उपर्युक्ताबुझार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

भी जाप।) भी अतुल पा-

T
1077115

(167/5-9)

- विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दृशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
 7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितिका के सुरक्षात्मक विधियों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त सरकार से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के अनुपानों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के सकौप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
 10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
 11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संब्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तीर्णी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्भूत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियाँ का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियाँ तथा अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियाँ में सी0सी0 रोड/इंटरलाइंस तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

आमंत्रिय
(एच0पी0 रिह)
विशेष सचिव

संख्या-625/2015/1431(1)/69-1-2015, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक तार्याही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठबां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, बुलन्दशहर।
5. मुख्य योषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेद मास्टर, सड़ा को विभागीय वेवराईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आमंत्रिय
(एच0पी0 रिह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या ५२५/2015/1431/69-1-2015-88(बजट)/2013 दिनांक ०८ जुलाई 2015 का सं जनक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वाई का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति यौनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	बुलन्दशहर	न०पि०, खुर्जा	न०निकाय खुर्जा, मो० मुरारी नगर में रनवीर के घर से रसद (असद) एवं इनामत उल्ला (इनायत उल्ला) के प्लाट तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	35.00	17.50
2.	तरैय	तरैय	न०निकाय खुर्जा, मो० नई बस्ती में ईदरीश के घर से अंत तक एवं हवीब के घर से अजीर्क के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	31.29	15.645
3.	तरैय	न०पि०, बुगरासी	न०पि०, बुगरासी में मंगलवाला बसी रोड पर मस्जिद आफाक नगर, कलतन खां का घर एवं बंजर बस्ती एवं बलया कुरैशी के घर धाली गेहूँ में नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य।	13.74	6.87
4.	तरैय	न०पि०, बुगरासी	न०पि०, बुगरासी में दौलतपुर रोड से इवरा गोन स्कूल तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स कार्य।	9.48	4.74
योग				89.51	44.755

(रूपये चौदालिस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)

hpsk
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।